

## नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

### (दिनांक 06/06/2023 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त)

श्री ए. बिपिन मेनन, विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अध्यक्षता में दिनांक 06/06/2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे हाइब्रिड मोड के माध्यम से आयोजित नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

A. बैठक के दौरान अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे: -

1. श्री सुरेंद्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (23/09/2008 के पत्र के संदर्भ में वाणिज्य विभाग के नामिती)।
2. श्री बृजेंद्र सिंह, उप आयुक्त, सीमा शुल्क, नोएडा आयुक्तालय।
3. श्रीमती गरिमा मिश्रा, सहायक प्रबंधक, डीआईसी, नोएडा (प्रधान सचिव, उद्योग, यूपी सरकार के प्रतिनिधि)।
4. श्री चमन लाल, सहायक वि. व्या. म, कार्यालय अतिरिक्त वि. व्या. म, सीएलए, नई दिल्ली।
5. श्री नरेश यादव, आयकर अधिकारी, आयकर विभाग, नोएडा।
6. श्रीमती मीनाक्षी नारंग, प्रबंधक, न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नोएडा।

B. इसके अलावा, बैठक के दौरान सर्वश्री (i) किरण मोहन मोहदिकर, उप विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, (ii) अमित गुप्ता, निर्दिष्ट अधिकारी, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, (iii) प्रकाश चंद उपाध्याय, सहायक विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, (iv) भारत भूषण, सहायक, (v) सत्य विजय वर्मा, आईई, यूपीपीसीबी, नोएडा और (vi) राजीव कुमार, जेई, यूपीपीसीएल, नोएडा भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। यह बताया गया कि बैठक आयोजित करने के लिए निर्धारित गणपूर्ति उपलब्ध है और बैठक आगे बढ़ सकती है।

C. प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची में शामिल मदों को एक-एक करके विचार-विमर्श के लिए लिया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के साथ-साथ आवेदकों/इकाईयों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के बाद सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

D. कार्यसूची में शामिल प्रस्तावों पर मदवार निर्णय:

- (1) दिनांक 16/05/2023 को आयोजित अनुमोदन समिति की अंतिम बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन।

दिनांक 16/05/2023 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के विरुद्ध न तो कोई सन्दर्भ था और न ही आपत्तियाँ। इसलिए, अनुमोदन समिति ने इस पर ध्यान दिया और तदनुसार, 16/05/2023 को हुई बैठक के कार्यवृत्त को अनुमोदन समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

- (2) ट्राइडेंट कार्पोरेशन - स्वीकृति पत्र में अतिरिक्त अधिकृत संचालन शामिल करना।

2.1 इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि श्री पंकज गुप्ता अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और स्वीकृति पत्र में अतिरिक्त अधिकृत को शामिल करने के प्रस्ताव की व्याख्या की। उन्होंने बताया कि अनुमोदन समिति ने मैसर्स पत्रा ज्वेलरी से प्लॉट संख्या जेसी-2 और 3, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र में भवन के हस्तांतरण को मंजूरी दे दी है, लेकिन पहले इकाई धारक के कुछ औपचारिकताओं के कारण, अंतिम निकास अभी तक नहीं हुआ है। यह कहा गया था कि उन्हें अंतरराष्ट्रीय आपूर्तिकर्ताओं को रसद और भंडारण सहायता प्रदान करनी है और

इसके लिए उन्हें शीतगृह सुविधाओं सहित भंडारण स्थान की आवश्यकता होगी। इसके अलावा यह कहा गया कि परिवार पहले से ही भारत में बड़ी विद्युत कंपनियों के लिए घरेलू क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वितरण और सी एंड एफ प्रतिनिधि है और भंडारण और वितरण का अनुभव रखता है। उन्होंने आगे बताया कि वह जल्द ही एसडीएफ के आवंटन के लिए आवेदन करेंगे और भूखंडों की नीलामी में भी भाग लेंगे।

2.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, एलईडी टीवी, लैपटॉप नोटबुक, मोबाइल फोन, चिकित्सा उपकरण, मानव, गैर मादक पेय, काजू, मसाले और उत्पादों के लिए दवाओं/टीकों को छोड़कर अतिरिक्त भंडारण सामानों को शामिल करने के लिए इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

(3) सनग्लास पैलेस प्राइवेट लिमिटेड - प्रदर्शन की निगरानी (इकाई अनुमोदन समिति 03/01/2023 के निर्णय के अनुसार)।

3.1 बैठक के लिए अनुमोदन समिति के समक्ष इकाई से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। अनुमोदन समिति ने मामले को अगली बैठक में रखने के प्रस्ताव को स्थगित कर दिया।

(4) डॉल्फिन अप्पारेल्स - स्वीकृति पत्र में अतिरिक्त अधिकृत संचालन शामिल करना।

4.1 बैठक के लिए अनुमोदन समिति के समक्ष इकाई से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। अनुमोदन समिति ने इस पर गंभीरता से विचार करते हुए प्रस्ताव को अगली बैठक में रखने के लिए स्थगित कर दिया है।

(5) टेक महिंद्रा लिमिटेड (इकाई-III) सीजी सीमा में वृद्धि और प्रक्षेपण में संशोधन और प्रदर्शन की निगरानी

5.1 इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि श्री अंकुर रोहिल्ला अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। वित्त वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान लंबित विदेशी मुद्रा के बारे में पूछे जाने पर, श्री अंकुर ने बताया कि वह जल्द ही इसका विवरण प्रस्तुत करेंगे।

5.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद मैसर्स टेक महिंद्रा लिमिटेड (इकाई-III) के पूंजीगत माल की सीमा में वृद्धि और अनुमानों में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके अलावा, अनुमोदन समिति ने इकाई के प्रतिनिधि को वित्त वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान सीए द्वारा विधिवत प्रमाणित लंबित विदेशी मुद्रा की अद्यतन स्थिति प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

अनुमानों में संशोधन इस प्रकार हैं:

विशिष्ट	मौजूदा	संशोधित
निर्यात का एफओबी मूल्य	180176	180176
विदेशी मुद्रा रवानगी	200	200
एनएफई आय	179976	179976
आयातित पूंजीगत सामान	200	200
स्वदेशी पूंजीगत सामान	200	200
आयातित कच्चा माल/उपभोग्य/घटक आदि	0.00	0.00
स्वदेशी कच्चा माल/उपभोग्य वस्तुएं/घटक आदि	0.00	0.00
आयातित इनपुट सेवाएं	0.00	100.00
स्वदेशी इनपुट सेवाएं	1000.00	6000.00

(6) ग्रोज़ इंजीनियरिंग टूल्स प्राइवेट लिमिटेड - स्वीकृति पत्र में अतिरिक्त अधिकृत संचालन के रूप में व्यापार और भंडारण गतिविधियों को शामिल करना

6.1 श्री रितेश कपूर - वरिष्ठ उपाध्यक्ष और इकाई के श्री राम भारद्वाज अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की।

पूछे जाने पर उन्होंने सूचित किया कि उन्हें अपनी सहयोगी संस्था मैसर्स ज़ोरब इंडस्ट्रीज और मेसर्स ग्रोज़ नेट इंडस्ट्रीज की जरूरतों को पूरा करने के लिए भंडारण गतिविधि की आवश्यकता है। वह दूसरों के लिए माल गोदाम में रखने का इरादा नहीं रखते हैं।

वह एक पूर्ण विकसित गतिविधि के रूप में व्यापार करने का इरादा रखते हैं। उन्होंने बताया कि वे इन वस्तुओं को विदेशों से खरीदेंगे और/या स्थानीय रूप से भारत से खरीदेंगे और इन वस्तुओं का निर्यात करेंगे। इसके अलावा, कई बार उन्हें इनमें से कुछ सामान निर्यात उन्मुख इकाई/विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाइयों को बेचना पड़ सकता है। वे इन वस्तुओं को घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र इकाइयों को नहीं बेचेंगे।

6.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद कलम, टोपी, लेखन सामग्री सामान, पानी की बोतलें, चश्मे, टी शर्ट, अन्य कपड़ों की सामग्री और संयंत्र और मशीनरी को छोड़कर व्यापार और भंडारण (सहयोगी चिंताओं के लिए) गतिविधियों के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

(7) इंडिका इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड - स्वीकृति पत्र के तहत अधिकृत संचालन के आईटीसी (एचएस) कोड के अद्यतन के लिए दी गई अनुमति का अनुसमर्थन।

7.1 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, स्वीकृति पत्र में अधिकृत संचालन के आईटीसी (एचएस) कोड/नामावली में अद्यतनीकरण के लिए दी गई अनुमति की पुष्टि की, जैसा कि पत्र दिनांक 07/03/2023 में सूचित किया गया था।

(8) जगत जेम्स एंड ज्वैलरी- स्वीकृति पत्र के तहत अधिकृत संचालन के आईटीसी (एचएस) कोड के अद्यतन के लिए दी गई अनुमति का अनुसमर्थन।

8.1 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, स्वीकृति पत्र में अधिकृत संचालन के आईटीसी (एचएस) कोड/नामावली में अद्यतनीकरण के लिए दी गई अनुमति की पुष्टि की, जैसा कि पत्र दिनांक 01.06.2023 में सूचित किया गया था।

(9) एओवी इंटरनेशनल एलएलपी (इकाई-II) स्वीकृति पत्र में अधिकृत संचालन के रूप में व्यापारिक गतिविधियों को शामिल करना।

9.1 श्री विशाल कपूर, भागीदार अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। उन्होंने बताया कि उनके ग्राहक जो हाथ-पम्प का व्यवसाय करते हैं उन्हें पम्पों के अलावा अधिक सामान की आवश्यकता होती है जो केवल गहरे कुओं की बोरिंग से संबंधित है। यह आगे कहा गया कि सभी प्रस्तावित व्यापारिक सामान बोरिंग, पम्पों की स्थापना और साज़-सामान और पानी से संबंधित व्यवसाय से संबंधित हैं, जो ग्राहकों द्वारा नियमित रूप से आवश्यक हैं।

9.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, स्वीकृति पत्र में अतिरिक्त अधिकृत संचालन के रूप में व्यापारिक गतिविधियों को शामिल करने के लिए मैसर्स एओवी

I/47709/2023

इंटरनेशनल एलएलपी (इकाई-II) के प्रस्ताव को मंजूरी दी, और आगे निम्नलिखित जमा करने के अधीन है, बशर्ते कि कोई घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी:

1) इकाई द्वारा उल्लिखित आईटीसी (एचएस) कोड 39129090 (बोरिंग बहुलक) का विवरण सीबीआईसी और वि. व्या. म की अनुसूची के साथ मेल नहीं है जिसे स्पष्ट करने की आवश्यकता है।

2) इकाई ने पीपीआर पाइप फिटिंग (जोड़ कोहनी और निकला हुआ किनारा) और एचडीपीई पाइप की फिटिंग के खिलाफ आईटीसी (एचएस) कोड 39174000 दोहराया है जिसे स्पष्ट करने की आवश्यकता है।

(10) एसी इम्पेक्स - स्वीकृति पत्र का नवीनीकरण और स्वीकृति पत्र में अधिकृत संचालन की बहाली।

10.1 कुछ तकनीकी समस्या के कारण इकाई के प्रतिनिधि ऑनलाइन बैठक में शामिल नहीं हो सके। तदनुसार, अनुमोदन समिति ने मामले को अपनी अगली बैठक में रखने के प्रस्ताव को स्थगित कर दिया। स्वीकृति समिति ने यह भी निर्देश दिया कि स्वत्वधारी बैठक में स्वयं उपस्थित होंगे। अनुमोदन समिति ने आगे निर्देश दिया कि खरीदार को ईमेल के माध्यम से खरीद आदेश की वास्तविकता का पता लगाया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

(सुरेंद्र मलिक)

संयुक्त विकास आयुक्त

(ए. बिपिन मेनन)

विकास आयुक्त